



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

[संसद द्वारा पारित अधिनियम 1996, (1997 का क्रमांक 3) के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय
[A Central University established by Parliament by Act No. 1996 (3 of 1997)]

प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)

Prof. Anand Patil

Registrar (Acting)

पत्रांक : 003/2003/क.आ./02-2024/294

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

दिनांक : 02.09.2024


सूचना

विश्वविद्यालय में वर्तमान मेस संचालक दिनांक 03 सितंबर 2024 की सायं तक अल्पाहार और भोजन व्यवस्था कर पायेंगे, उसके बाद मेस संचालक छात्रावासों में मेस चलाने में असमर्थ हैं। चूंकि मेस संचालन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निविदा प्रक्रियाधीन है अतः ऐसी स्थिति में निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा आगामी व्यवस्था होने तक मेस व्यवस्था स्थगित रहेगी।

वर्तमान मेस व्यवस्था में जिन विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों द्वारा अल्पाहार और भोजन हेतु अग्रिम राशि जमा की गयी है, उन्हें उसमें से शेष (बकाया) राशि लौटायी जायेगी।

सभी अंतेवासियों से सहयोग की अपेक्षा है।

उक्त सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी की जाती है।


(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रति : समस्त विद्यार्थी और शोधार्थी, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा

प्रतिलिपि :

1. कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता
3. कुलानुशासक
4. वित्ताधिकारी कार्यालय
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी
6. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
7. समस्त छात्रावास अधीक्षक
8. सूचना पट्ट, समस्त छात्रावास
9. जनसंपर्क अधिकारी
10. प्रभारी 'लीला' - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
11. रक्षित पत्रावली